भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.12.2024 के

तारांकित प्रश्न सं. 122 का उत्तर

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का पुनर्विकास

***122. श्री मनीष जायसवाल:**
श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमृत भारत स्टेशन योजना की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में विशेषतः झारखंड, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र में स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के तहत कितने स्टेशनों को सम्मिलित/पुनर्विकसित किया गया है;

(घ) इन स्टेशनों से भारतीय रेल में बेहतर यात्री अनुभव किस प्रकार मिलेगा;

(ङ) क्या यात्री सुविधा में सुधार के लिए पश्चिम मध्य रेलवे जोन की लोकल ट्रेनों में यात्री डिब्बों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मध्य प्रदेश (होशंगाबाद स्टेशन), महाराष्ट्र (पालघर स्टेशन) और झारखंड में स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए किए गए बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों के पुनर्विकास के संबंध में दिनांक 04.12.2024 को लोक सभा में श्री मनीष जायसवाल और श्री दर्शन सिंह चौधरी के तारांकित प्रश्न सं. 122 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर सुविधाओं जैसे स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्रों, प्रतीक्षालयों, शौचालयों, आवश्यकतानुसार लिफ्टों/स्वचालित सीढ़ियों, प्लेटफॉर्म की सतह और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल हैं।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्ध रूप से एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों छोरों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टर बनाने की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, इस योजना के अंतर्गत 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से 57 स्टेशन झारखंड राज्य में, 132 स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में और 80 स्टेशन मध्य प्रदेश राज्य (होशंगाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 स्टेशनों सहित) में स्थित हैं । झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
झारखंड	57	बालसिरिंग, बानो, बड़जमदा जंक्शन, बरकाकाना, बासुकीनाथ, भागा, बोकारो स्टील सिटी, चाईबासा, चक्रधरपुर, चांडिल, चंद्रपुरा, डाल्टनगंज, डांगोआपोसी, देवघर, धनबाद, दुमका, गम्हरिया, गंगाघाट, गढ़वा रोड, गढ़वा टाउन, घाटसिला, गिरिडीह, गोड्डा, गोविंदपुर रोड, हैदरनगर, हटिया, हजारीबाग रोड, जामताड़ा, जपला, जसीडीह, कतरासगढ़, कोडरमा, कुमारडूबी, लातेहर, लोहरदगा, मधुपुर, मनोहरपुर, मुहम्मदगंज, मुरी, एनएससीबी गोमो, नगरान्तरी, नामकोम, ओरगा, पाकुड़, पारसनाथ, पिस्का, राजखरसावां, राजमहल, रामगढ़ कैंट, रांची, साहिबगंज, संकरपुर, सिल्ली, सिनी, टाटानगर, टाटीसिलवाई, विद्यासागर
महाराष्ट्र	132	अहमदनगर, अजनी (नागपुर), अकालकोट रोड, अकोला, अकुर्डी, अमलनेर, आमगांव, अमरावती, अंधेरी, औरंगाबाद, बडनेरा, बल्हारशाह, बांद्रा टर्मिनस, बारामती, बेलापुर, भंडारा रोड, भोकर, भुसावल, बोरीवली, भायखला, चालीसगांव, चंदा फोर्ट, चंद्रपुर, चर्नी रोड, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, चिंचपोकली, चिंचवाड़, दादर (डीडीआर), दादर (डीआर),

		दहिसर, दौंड, देहु रोड, देवलाली, धामनगांव, धरनगांव, धर्माबाद, धुले, दिवा, दुधानी, गंगाखेर, गोधनी, गोंदिया, ग्रांट रोड, हडपसर, हटकनंगले, हजूर साहिब नांदेड़, हिमायतनगर, हिंगनघाट, हिंगोली डेक्कन, इगतपुरी, इतवारी, जलगांव, जालना, जेउर, जोगेश्वरी, कल्याण, कैम्पटी, कांदिवली, कांजुर मार्ग, कराड, काटोल, केडगांव, किनवट, कोल्हापुर, कोपरगांव, कुर्दुवाड़ी, कुर्ला, लासलगांव, लातूर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, लोनांद, लोनावला, लोअर परेल, मलाड, मलकापुर, मनमाड, मानवथ रोड, मरीन लाइन्स, माटुंगा, मिराज, मुदखेड, मुंबई सेंट्रल, मुंब्रा, मुर्तजापुर, नागरसोल, नागपुर, नंदगांव, नांदुरा, नरखेड़, नासिक रोड, उस्मानाबाद, पचोरा, पालघर, पंढरपुर, पनवेल, परभणी, परेल, परली वैजनाथ, परतूर, प्रभादेवी, पुलगांव, पुणे जंक्शन, पूर्णा, रावेर, रोटेगांव, साईंनगर शिरडी, सैंडहर्स्ट रोड, सांगली, सतारा, सावदा, सेलु, सेवाग्राम, शहद, शेगांव, शिवाजी नगर पुणे, सोलापुर, तलेगांव, ठाकुरली, ठाणे, टिटवाला, तुमसर रोड, उमरी, उरुली, वडाला रोड, विद्याविहार, विक्रोली, वडसा, वर्धा, वाशिम, वाथर, नंदूरबार, फलटन
मध्य	80	अकोदिया, अमला, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बानापुरा, बरगवां,

प्रदेश		ब्योहारी, बेरछा, बेतूल, भिंड, भोपाल, बिजुरी, बीना, बियावरा राजगढ़, छिंदवाड़ा, डबरा, दामोह, दतिया, देवास, गाडरवारा, गंजबासौदा, घोड़ाडोंगरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, हरपालपुर, होशंगाबाद, इंदौर, इटारसी जंक्शन, जबलपुर, जुन्नारदेव, करेली, कटनी जंक्शन, कटनी मुरवारा, कटनी साउथ, खाचरोड, खजुराहो, खंडवा, खिरकिया, लक्ष्मीबाई नगर, मैहर, मक्सी, मंडलाफोर्ट, मंदसौर, एमसीएस छतरपुर, मेघनगर, मुरैना, मुलताई, नागदा, नैनपुर, नरसिंहपुर, नीमच, नेपानगर, ओरछा, पांढुर्ना, पिपरिया, रतलाम, रीवा, रूठियाई, सांची, संत हिरदाराम नगर, सतना, सागर, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शामगढ़, श्योपुर कलां, शिवपुरी, श्रीधाम, शुजालपुर, सिहोरा रोड, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा, विक्रमगढ़ आलोट

स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों के आवंटन का ब्यौरा योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। झारखंड राज्य तीन क्षेत्रीय रेलों नामतः पूर्व रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 हेतु आवंटन ₹1626 करोड़ है।

महाराष्ट्र राज्य चार क्षेत्रीय रेलों नामतः मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 हेतु आवंटन ₹4406 करोड़ है।

मध्य प्रदेश राज्य सात क्षेत्रीय रेलों नामतः मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 हेतु आवंटन ₹6339 करोड़ है।

साधारण और गैर-वातानुकूलित शयनयान सवारी डिब्बों का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए अधिक स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की संरचना में मौजूदा नीति के अनुसार, 22 सवारी डिब्बों की एक गाड़ी में 12 (बारह) साधारण श्रेणी और शयनयान श्रेणी के गैर-वातानुकूलित सवारी डिब्बे तथा 08 (आठ) वातानुकूलित सवारी डिब्बे उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे साधारण और गैर-वातानुकूलित शयनयान सवारी डिब्बों का उपयोग करने वाले यात्रियों को अधिक स्थान उपलब्ध होता है। इसके अलावा, अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए अधिक स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, चालू वित्त वर्ष के दौरान एलएचबी (लिंके हॉफमैन बुश) सवारी डिब्बों के साथ चलने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में 600 से अधिक साधारण श्रेणी के सवारी डिब्बे जोड़े गए हैं। इसमें पश्चिम मध्य रेलवे के स्वामित्व वाली गाड़ियों में जोड़े गए 25 साधारण श्रेणी के सवारी डिब्बे शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय रेल में गाड़ियों में सवारी डिब्बे जोड़ना यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन एक सतत प्रक्रिया है।

****